

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है। एवं सिविल सोयम भूमि _____ है। क्षेत्र में 1.73 किमी² लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। केन्द्रप्रस्तावित भूमि 1.1463 है।

प्रारूप—57

परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना


कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र

पट्टा जिन्हें पहले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और राज्य प्राविधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन लेने का फार्म।

अग्रणी


भाग—1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाना है)

1. पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है। (प्रति संलग्न करें)
2. परियोजना के विवरण :—
 - (1) प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।
 - (2) 1:50,000 के स्केल मैप पर वन के आस-पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र।
 - (3) परियोजना की लागत।
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार व्यौरा (जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाली है)।
4. अनुदेशों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।


 Executive Engineer
 Construction Division
 Uttarakhand R.D.C. (Chamoli)
 Karanprayag (Chamoli)
 पता (प्रयोक्ता एजेन्सी का)

तारीखः

स्थानः—


 M.A.E.
 Const. Division
 Uttarakhand Pejjal Nigam
 Karanprayag (Chamoli)


 संचायक अभियन्ता
 निर्माण शाखा
 उत्तराखण्ड पेयजल निगम
 कार्यपालिका (चमोली)